e-Mail Id: dpro.ltr@gmail.com
mob: 9470373817

कार्यालय, उपायुक्त–सह– अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, लातेहार।

(पंचायत शाखा)

विज्ञापन संख्या–02/2021

ग्रामीण विकास विभाग, (पंचायती राज) झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 395 दिनांक 19.02.2021 के आलोक में 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत, लातेहार जिला के लिए पंचायतों में सेवा अनुबंध के लिए योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0	पद का नाम	कोटिवार पदों की संख्या					कुल पद	मासिक मानदेय
		ST	SC	BC-I	BC-II	UR		
1	कनीय अभियन्ता	0	2	–	–	7	9	17000/–प्रतिमाह
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	8	4	–	–	11	23	10000/–प्रतिमाह

आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया

(क) आवेदन विहित प्रपत्र में भरे जाएंगे। विस्तृत विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र, आरक्षण, शैक्षणिक योगयता, उम्र सीमा एवं अन्य शर्तें (https://latehar.nic.in) पर उपलब्ध है जिसे Download किया जा सकता है।

(ख) आवेदक, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा न ही इसे भविष्य के किसी परीक्षा के लिए समायोजित किया जायेगा।

(ग) आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन, आवेदन शुल्क एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ बंद लिफाफे में आवेदन हाथों–हाथ **जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय** में समर्पित करेंगे। अन्य माध्यम यथा– ई–मेल, पंजीकृत डाक, कुरियर से प्रेषित आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :–

क्र0	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500	सामान्य
		300	अ0जा0,अ0ज0जा0एवं महिला
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500	सामान्य
		300	अ0जा0,अ0ज0जा0एवं महिला

(च) आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट जो **जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार** के नाम से **लातेहार** में भुगतेय हो के माध्यम से देय होगा।

(छ) आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु **दिनांक 20.10.2021 से अंतिम तिथि दिनांक 25.10.2021 अपराह्न 05:00 बजे तक है।** उक्त समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी विलम्ब के लिए चयन समिति जवाबदेह नहीं होगी।

(झ) उपर्युक्त **<u>कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर</u>** के पदों के विरूद्ध सेवा अनुबंध की शर्तें ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–395 दिनांक 19.02.2021 में दिये गये सेवा शर्तों के अधीन होगी, उक्त अधिसूचना वेवसाईट **(https://latehar.nic.in)** पर देखी जा सकती है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

8/10/21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
लातेहार।

e-Mail Id: dpro.ltr@gmail.com
mob: 9470373817

कार्यालय, उपायुक्त–सह– अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, लातेहार।

(पंचायत शाखा)

विज्ञापन संख्या–02/2021

ग्रामीण विकास विभाग, (पंचायती राज) झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 395 दिनांक 19.02.2021 के आलोक में 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत, लातेहार जिला के लिए पंचायतों में सेवा अनुबंध के लिए योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0	पद का नाम	कोटिवार पदों की संख्या					कुल पद	मासिक मानदेय
		ST	SC	BC-I	BC-II	UR		
1	कनीय अभियन्ता	0	2	—	—	7	9	17000/–प्रतिमाह
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	8	4	—	—	11	23	10000/–प्रतिमाह

आरक्षण नीति :– दोनों सेवा अनुबंध के लिए पैनल निर्माण में राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी।

उम्र सीमा :– दोनों सेवा अनुबंध के पैनल में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.01.2021 के आधार पर की जायेगी, परन्तु वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में तीन वर्षों की छुट प्रदान की जायेगी।

शैक्षणिक योग्यता :–

1. **कनीय अभियंता** :–
   (i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 % प्रतिशत के साथ सिविल अभियन्त्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 % होगा।
   (ii) वांछनीय योग्यता : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

2. **लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर** :–
   (i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 % अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0(गणित सांख्यिकी)/बी0ए0(गणित सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 % होगा।
   (ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव – संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. **आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया**
   (i) आवेदक, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।
   (ii) आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन, आवेदन शुल्क एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित

(ii) आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन, आवेदन शुल्क एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ बंद लिफाफे में किसी भी कार्य दिवस को आवेदन हाथों–हाथ **जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय** में समर्पित करेंगे। अन्य माध्यम यथा– ई–मेल, पंजीकृत डाक, कुरियर से प्रेषित आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :–

क्र0	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500	सामान्य
		300	अ0जा0,अ0ज0जा0एवं महिला
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500	सामान्य
		300	अ0जा0,अ0ज0जा0एवं महिला

(iv) आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट जो **जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार** के नाम से **लातेहार** में भुगतेय हो के माध्यम से देय होगा।

(v) आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु **दिनांक 20.10.2021 से अंतिम तिथि दिनांक 25.10. 2021 अपराह्न 05:00 बजे तक है।** उक्त समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी विलम्ब के लिए चयन समिति जवाबदेह नहीं होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतिक्षा किये बिना ससमय आवेदन समर्पित कर दें।

(vi) प्राप्त आवेदन में से मूल्यांकन उपरांत पैनल निर्माण उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया एवं मेधा सूची ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–395 दिनांक 19.02.2021 मे दिये गए दिशा निदेशों एवं समय–समय पर पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक मे की जायेगी।

(vii) उपर्युक्त **कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर** के पदों के विरूद्ध सेवा अनुबंध की शर्तें ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–395 दिनांक 19.02.2021 में दिये गये सेवा शर्तों के अधीन होगी, उक्त अधिसूचना वेवसाईट **(https://latehar.nic.in)** पर देखी जा सकती है।

18/10/21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
लातेहार।

आवेदन पत्र (ए– 4 साईज पेपर में मुद्रित)

स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ जो तीन माह से अधिक पुरानी न हो।

(बिना टोपी एवं चश्मे के दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए)

1. सेवा जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :–

2. आवेदक का नाम :–
(हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

3. पिता / पति का नाम :–

4. आरक्षण कोटि :–
(सक्षम स्तर से निर्गत स्थानीयता, जाति, आय एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाय)

5. मैट्रिक / 10वीं के प्रमाण पत्र
में अंकित जन्म तिथि :–

6. दिनांक 01.01.2021 को उम्र :–

7. पत्राचार का पता :–

8. स्थायी पता :–

9. राष्ट्रीयता :–

10. मोबाईल संख्या :–

11. ई–मेल :–

12. शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा के विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित संलग्न की जाय)

13. अनुभव एवं नियोजनों का विवरणी यदि हो :

पद का नाम	स्थायी / अस्थायी / संविदा / अन्य	पदग्रहण की तिथि	पदत्याग की तिथि	नियोजक का नाम एवं पूरा पता

14. उम्मीदवार का पहचान चिन्ह :–

15. आवेदन शुल्क भुगतान संबंधी विवरणी :–

16. आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों की सूची :–

17. मैं ....घोषित करता / करती हूँ कि :–

(क) इस आवेदन में दिये गये सभी विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ख) मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र मांग करने पर प्रस्तुत करूँगा / करूँगी ।

(ग) यदि परीक्षा से पूर्व या पश्चात् किसी समय कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाएगी तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक :–

स्थान :– **आवेदक का हस्ताक्षर**

11

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायत राज)

अधिसूचना

अ०सू०सं० :– 01 स्था (वि०) 110/2018 ....335........./पं० राँची, दिनांक :– 12.2.2021

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) द्वारा 15वें वित्त आयोग मद की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को विमुक्त की जा रही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा O&M एवं पूँजीगत व्यय के बीच कोई अंतर नही किया गया है। पंचायतें 15वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग अनिवार्य गतिविधियों में पंचायतों में/ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख–रखाव अनुबंध/सेवा अनुबंध कर सकती हैं। उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं इनसे संबंधित ऑनलाईन कार्यों के सम्पादन में तकनीकि सहायता उपलब्ध कराने के निमित्त ग्राम पंचायते सेवा अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित 02 (दो) तरह के कर्मियों की सेवा प्राप्त कर सकती है। सेवा अनुबंध के विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कर्मी को भुगतान 15वें वित्त आयोग मद की अनाबद्ध अनुदान मद राशि से अनुमान्य होगा।

क0	सेवा क्षेत्र का नाम	संख्या	अधिकतम मासिक देय राशि
1	2	3	4
1	कनीय अभियंता के रूप में	526 (दो प्रति प्रखंड की दर से)	17000/–
2	लेखा लिपिक–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में	869 (प्रत्येक पाँच पंचायत पर एक, जिलावार विवरणी संलग्न)	10000/–

ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा अनुबंध हेतु कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें अंकित अभ्यर्थियों में से ग्राम पंचायत योग्य अभ्यर्थी के साथ सेवा अनुबंध कर सकेगी।

2. कनीय अभियंता :

क– आरक्षण नीति :

कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

ख– शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

ग– उम्र सीमा :

कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हे ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो, उन्हे अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

कृ०पृ०उ० ....

घ– चयन की प्रक्रिया :

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. उपायुक्त	–	अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
3. निदेशक, डी0आर0डी0ए0	–	सदस्य
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी	–	संयोजक
5. कार्यपालक अभियंता (विशेष प्रमंडल / पथ निर्माण)	–	सदस्य
6. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए नामित (उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी)	–	सदस्य

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

च– मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

(a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका छ–I में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय (अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

छ– मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

कृ0पृ0उ0 ....

9

IV. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

3. लेखा लिपिक–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर :

क– आरक्षण नीति :

लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

ख– शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम / बी0एस0सी0 (गणित / सांख्यिकी) / बी0ए0 (गणित / सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा।

(ii) **वांछनीय योग्यता एवं अनुभव**– संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग– उम्र सीमा :

लेखा–लिपिक–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हे ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हे अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

घ– चयन की प्रक्रिया :

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. उपायुक्त–	अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त–	सदस्य
3. जिला लेखा पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय वाणिज्कर सेवा के पदाधिकारी	सदस्य
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी–	संयोजक
5. जिला स्तरीय NIC के पदाधिकारी–	सदस्य
6. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए नामित– (उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी)	सदस्य

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कम्प्यूटर जाँच के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

च– मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

(a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

कृ0पृ0उ0 ....

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

छ– मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

V. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

4. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

(a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे वेबसाईट से डाऊनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट की सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी।

(b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

(c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :–

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500 /– रूपये	सामान्य
		300 /– रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500 /– रूपये	सामान्य
		300 /– रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

(d) राशि के भुगतान एवं माध्यम के संबंध में निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा एवं अग्रिम सूचना विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी।

(e) आवेदन से प्राप्त राशि के उपयोग/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से अलग से दिशा निदेश निर्गत किया जाएगा।

(f) आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। परंतु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से कार्यालय अवधि में भेजे जाने होंगे। इसके लिए ई-मेल की भी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी।

(g) आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(h) पैनल में चयन की प्रकिया पूरे राज्य में एक साथ प्रारंभ की जाएगी अर्थात् सभी जिलों में एक साथ चयन हेतु आवेदन पत्र मांगे जायेंगे एवं आवेदन पत्र संबंधित जिले में ही समर्पित किए जायेंगे।

5. सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्त्तें निम्नवत् होगी :-

i. चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।

ii. चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध में **उपायुक्त** के स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा। **उपायुक्त** के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।

iii. चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choice) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जाएगा।

iv. कर्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी--सह-- सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक--सह--कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।

v. सेवा अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक-एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा।

vi. सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

vii. उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।

कृ०पृ०उ० ....

viii. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबंधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

ix. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कारणों के साथ अनुशंसा उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे जिसपर उपायुक्त को 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाएगा।

x. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।

xi. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरूद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

xii. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य रंजन)
निदेशक–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0) 110/2018 ......355....../पं0, राँची, दिनांक :– 19.2.2021

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रसारण हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशनोपरांत उक्त अंक की 500 प्रतियाँ अभिलेख हेतु विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

निदेशक–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0) 110/2018 ......355....../पं0, राँची, दिनांक :– 19.2.2021

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट– हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0) 110/2018 ......395....... /पं0, राँची, दिनांक :– 19.2.2021

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/02

निदेशक–सह–संयुक्त सचिव।

E:\Notification\JE & Computer Operator\Notification JE & Com.Operator Revised-Copy-Copy-Copy-Copy-Copy.docx